

[26 नवम्बर, 2021 को यथाविद्यमान]

THE CONSTITUTION OF INDIA

[As on 26th Novermber, 2021]

2021

भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग

द्वारा प्रकाशित
Published by
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

प्राक्कथन

यह भारत के संविधान का द्विभाषी रूप में पांचवां जेबी संस्करण हैं । इस संस्करण में संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 सिहत सभी संशोधनों को सिम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के पाठ को अध्यतन किया गया है । पाठ के नीचे पाद-िप्पण संविधान संशोधन अधिनियमों को इंगित करते हैं, जिनके द्वारा ऐसे संशोधन किए गए हैं।

भारत और बांग्लादेश सरकारों के बीच अर्जित और अन्तरित राज्यक्षेत्रों के ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करने वाले संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 का परिशिष्ट 1 में उपबंध किया गया है।

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 2019 तथा संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा का क्रमशः परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में संदर्भ के लिए उपबंध किया गया है।

नई दिल्ली ;

डॉ₀ रीटा वशिष्ट, सचिव, भारत सरकार ।

संक्षेपाक्षरों की सूची

का0आ0	कानूनी आदेश ।
का०नि०आ०	कानूनी नियम और आदेश ।
ч о	पृष्ठ ।
सं0	संख्यांक (नम्बर) ।
सं0आ0	संविधान आदेश ।
सा0का0आ0	.साधारण कानूनी आदेश ।

विषय सूची

उद्देशिका

अनुच्छेद		पृष्ठ
_	भाग 1	-
	संघ और उसका राज्यक्षेत्र	
1.	संघ का नाम और राज्यक्षेत्र	2
2.	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना	2
[2क.	सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना – लोप किया गया।]	2
3.	नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन	2
4.	पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां	3
	भाग 2	
	नागरिकता	
5.	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता	4
6.	पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	4
7.	पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	4
8.	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	5
9.	विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना	5
10.	नागरिकता के अधिकारों का बना रहना	5
11.	संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया	5
	जाना	3

	विषय सूची	(ii)
अनुच्छेद	~	पृष्ठ
	भाग 3	
	मूल अधिकार	
	साधारण	
12.	परिभाषा	6
13.	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां	6
	समता का अधिकार	
14.	विधि के समक्ष समता	6
15.	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध	6
16.	ें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता	8
17.	अस्पृश्यता का अंत	9
18.	उपाधियों का अंत	9
	स्वातंत्र्य-अधिकार	
19.	वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण	9
20.	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण	11
21.	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण	11
21क.	शिक्षा का अधिकार	11
22.	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण	11
	शोषण के विरुद्ध अधिकार	
23.	मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध	14
24.	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध	14
	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	
25.	अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता	14
26.	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता	14
27.	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता	15
28.	कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता	15

	विषय सूची	(iii)
अनुच्छेद		पृष्ठ
	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	
29.	अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण	15
30.	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार	15
[31.	संपत्ति का अनिवार्य अर्जन – लोप किया गया ।]	16
	.कुछ विधियों की ट्यावृत्ति	
31क.	संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति	16
31ख.	कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण	18
31ग.	कुछ निदेशक तत्त्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृति	18
[31घ.	राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति – लोप किया	18
[गया ।]	
	सांविधानिक उपचारों का अधिकार	
32.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार	19
[32क.	राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन	
	कार्यवाहियों में विचार न किया जाना – लोप किया गया ।]	19
33.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में,	
	उपांतरण करने की संसद् की शक्ति	19
34.	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत	
	अधिकारों पर निर्वन्धन	20
35.	इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान	20
	भाग 4	
	राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व	
36.	परिभाषा	21
37.	इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना	21
38.	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा	21
39.	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व	21
39क.	समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता	22

	विषय सूची	(iv)
अनुच्छेद	· ·	पृष्ठ
40.	ग्राम पंचायतों का संगठन	22
41.	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार	22
42.	- काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता	
	का उपबंध	22
43.	कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि	22
43क.	उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना	22
43ख.	सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन	23
44.	नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता	23
45.	छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख	
	और शिक्षा का उपबंध	23
46.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि	23
47.	पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का	23
	सुधार करने का राज्य का कर्तव्य	
48.	कृषि और पशुपालन का संगठन	23
48क.	पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा	23
49.	राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण	24
50.	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण	24
51.	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि	24
	भाग 4क	
	मूल कर्तव्य	
51क.	मूल कर्तव्य	25
	भाग 5	
	संघ	
	अध्याय 1—कार्यपालिका	
	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति	
52.	भारत का राष्ट्रपति	26
53.	संघ की कार्यपालिका शक्ति	26
54.	राष्ट्रपति का निर्वाचन	26

	विषय सूची	(v)
अनुच्छेद	·	पृष्ठ
55.	राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति	26
56.	राष्ट्रपति की पदावधि	27
57.	पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता	28
58.	राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं	28
59.	राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें	28
60.	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	28
61.	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया	29
62.	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय	
	और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि	29
63.	भारत का उपराष्ट्रपति	29
64.	उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना	29
65.	राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अन्पस्थिति	
	में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का	
	निर्वहन	30
66.	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन	30
67.	उपराष्ट्रपति की पदावधि	31
68.	उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय	
	और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि	31
69.	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	31
70.	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन	32
71.	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय	32
72.	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या	
	लघूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति	32
73.	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	33
	मंत्रि-परिषद्	
74.	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्	34
75	मंत्रियों के बारे में भूलय उपवंध	34

भारत का महान्यायवादी

76.

भारत का महान्यायवादी

35

	विषय सूची	(vi)
अनुच्छेद	~	पृष्ठ
	सरकारी कार्य का संचालन	
77.	भारत सरकार के कार्य का संचालन	35
78.	राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य	36
	अध्याय २-संसद्	
	साधारण	
79.	संसद् का गठन	36
80.	राज्य सभा की संरचना	36
81.	लोक सभा की संरचना	37
82.	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनःसमायोजन	38
83.	संसद् के सदनों की अवधि	39
84.	संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता	39
85.	संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन	40
86.	सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का	
	अधिकार	40
87.	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण	40
88.	सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार	40
	संसद् के अधिकारी	
89.	राज्य सभा का सभापति और उपसभापति	41
90.	उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना	41
91.	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में	
	कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति	41
92.	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प	41
	विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	
93.	लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	42
94.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से	
	हटाया जाना	42
95.	अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य	
	करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति	42

	विषय सूची	(vii)
अनुच्छेद	,	पृष्ठ
96.	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन	
	है तब उसका पीठासीन न होना	43
97.	सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भन्ने	43
98.	संसद् का सचिवालय	43
	कार्य संचालन	
99.	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	44
100.	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की	
	शक्ति और गणपूर्ति	44
	सदस्यों की निरर्हताएं	
101.	स्थानों का रिक्त होना	44
102.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	46
103.	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय	46
104.	अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित	
	न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति	47
	संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां	
105.	संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां,	
	विशेषाधिकार आदि	47
106.	सदस्यों के वेतन और भते	48
	विधायी प्रक्रिया	
107.	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध	48
108.	कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक	48
109.	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया	49
110.	"धन विधेयक" की परिभाषा	50
111.	विधेयकों पर अनुमति	51
	वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया	
112.	वार्षिक वित्तीय विवरण	51
113.	संसद् में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया	52
114.	विनियोग विधेयक	53

	विषय सूची	(viii)
अनुच्छेद	· ·	पृष्ठ
115.	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	53
116.	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	54
117.	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध	54
	साधारणतया प्रक्रिया	
118.	प्रक्रिया के नियम	55
119.	संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन	55
120.	संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा	56
121.	संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन	56
122.	न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना	56
	अध्याय 3राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां	
123.	संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की	
	शक्ति	56
	अध्याय 4—संघ की न्यायपालिका	
124.	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन	57
124क.	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग	58
124ख.	आयोग के कृत्य	59
124ग.	विधि बनाने की संसद् की शक्ति	59
125.	न्यायाधीशों के वेतन आदि	59
126.	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति	60
127.	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति	60
128.	उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति	60
129.	उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना	61
130.	उच्चतम न्यायालय का स्थान	61
131.	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता	61
[131क.	केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में	
	उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता – लोप किया गया ।]	61
132.	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की	
	अपीलीय अधिकारिता	61
133.	उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम	62
	न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता	
134	टांटिक विषयों में उच्चानम ल्यायावय की भपीवी भशिकारिता	62

	विषय सूची	(ix)
अनुच्छेद	· ·	पृष्ठ
134क.	उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र	63
135.	विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और	
	शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना	63
136.	अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत	63
137.	निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन	63
138.	उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि	64
139.	कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना	64
120-		64 64
139क.	कुछ मामलों का अंतरण	
140. 141.	उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां	64
141.	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना	65
142.	उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण	
	आदि के बारे में आदेश	65
143.	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति	65
144.	सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना	C.E.
[1.4.4 	विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में	65 65
[144क.	विशेष उपबंध – लोप किया गया ।]	65
145.	न्यायालय के नियम आदि	65
146.	उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय	67
147.	निर्वचन	68
	अध्याय 5—भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	
148.	भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	68
149.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां	69
150.	संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप	69
151.	संपरीक्षा प्रतिवेदन	69
	भाग 6	
	राज्य	
	अध्याय 1–साधारण	
152.	परिभाषा	70

	विषय सूची	(x)
अनुच्छेद	*	पृष्ठ
	अध्याय 2-कार्यपालिका	
	राज्यपाल	
153.	राज्यों के राज्यपाल	70
154.	राज्य की कार्यपालिका शक्ति	70
155.	राज्यपाल की नियुक्ति	70
156.	राज्यपाल की पदावधि	70
157.	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं	71
158.	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें	71
159.	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	71
160.	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन	72
161.	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या	
	लघूकरण की राज्यपाल की शक्ति	72
162.	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	72
	मंत्रि-परिषद्	
163.	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्	72
164.	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध	72
	राज्य का महाधिवक्ता	
165.	राज्य का महाधिवक्ता	74
	सरकारी कार्य का संचालन	
166.	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन	74
167.	राज्यपाल को जानकारी देने, आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य	75
	अध्याय 3-राज्य का विधान-मंडल	
	साधारण	
168.	राज्यों के विधान-मंडलों का गठन	75
169.	राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या मृजन	76
170.	विधान सभाओं की संरचना	76

	विषय सूची	(xi)
अनुच्छेद	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ਧੂष्ठ
171.	विधान परिषदों की संरचना	77
172.	राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि	79
173.	राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता	79
174.	राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन	80
175.	सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार	80
176.	राज्यपाल का विशेष अभिभाषण	80
177.	सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार	80
	राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी	
178.	विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	81
179.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया	
	जाना	81
180.	अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति	81
181.	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन	
	है तब उसका पीठासीन न होना	81
182.	विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति	82
183.	सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया	
	जाना	82
184.	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में	
	कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति	82
185.	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प	
	विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	83
186.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते	83
187.	राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय	83
	कार्य संचालन	
188.	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	84
189.	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति	84
	 सदस्यों की निरहताएं	
100	توسية عبر العبر عاس	0.4

	विषय सूची	(xii)
अनुच्छेद	· ·	पृष्ठ
191.	सदस्यता के लिए निर्रहताएं	85
192.	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय	86
193.	अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या	
	अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के	
	लिए शास्ति	87
	राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार	
	और उन्मुक्तियां	
194.	विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की	
	शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि	87
195.	सदस्यों के वेतन और भते	88
	.विधायी प्रक्रिया	
196.	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध	88
197.	धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों	
	पर निर्वधन	88
198.	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया	89
199.	"धन विधेयक" की परिभाषा	90
200.	विधेयको पर अनुमति	91
201.	विचार के लिए आरक्षित विधेयक	91
	वितीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया	
202.	वार्षिक वित्तीय विवरण	92
203.	विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया	92
204.	विनियोग विधेयक	93
205.	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	93
206.	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	94
207.	वित विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध	95
	साधारणतया प्रक्रिया	
208.	प्रक्रिया के नियम	95
209.	राज्य के विधान-मंडल में वितीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि दवारा	
	विनिगमन	06

	विषय सूची	(xiii)
अनुच्छेद		पृष्ठ
210.	विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा	96
211.	विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन	97
212.	न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना	97
	अध्याय 4—राज्यपाल की विधायी शक्ति	
213.	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल	
	की शक्ति	97
	अध्याय 5–राज्यों के उच्च न्यायालय	
214.	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय	98
215.	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना	98
216.	उच्च न्यायालयों का गठन	99
217.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें	99
218.	उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को	
	लागू होना	101
219.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	101
220.	स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन .	101
221.	न्यायाधीशों के वेतन आदि	101
222.	किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को	
	अंतरण	102
223.	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति	102
224.	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति	102
224क.	उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति	103
225.	विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता	103
226.	कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति	104
[226क.	अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक	
	वैधता पर विचार न किया जाना – लोप किया गया ।]	105
227.	सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति	105
228.	कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण	106
[228क.	उ राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के	106
	बारे में विशेष उपबंध – लोप किया गया ।]	

	विषय सूची	(xiv)
अनुच्छेद	, ,	पृष्ठ
229.	उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय	106
230.	उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार	107
231.	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना	107
[231.	अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 232 के स्थान पर	107
	अनुच्छेद २३० और अनुच्छेद २३१ प्रतिस्थापित ।]	
	अध्याय ६-अधीनस्थ न्यायालय	
233.	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति	108
233क.	कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए	
	निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण	109
234.	न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती	109
235.	अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण	109
236.	निर्वचन	110
237.	कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू	110
	होना	
	भाग 7	
1000	पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य	111
[238.	लोप किया गया ।]	111
	_{भाग} ठ संघ राज्यक्षेत्र	
239.	संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन	112
239 क .	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का	112
20047.	या दोनों का सृजन	112
239कक.	दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध	113
239कख.	सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध	115
239ख.	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति	116
240.	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति	117
241.	मंघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय	118
[242.	कोइगू – लोप किया गया ।]	118
[~ · ~ ·	भाग 9	
	पंचायत 	
243	ப ி அருப்	119

	विषय सूची	(xv)
अनुच्छेद	·	पृष्ठ
243क.	ग्राम सभा	119
243ख.	पंचायतों का गठन	119
243ग.	पंचायतों की संरचना	119
243घ.	स्थानों का आरक्षण	121
243ਵਾਂ.	पंचायतों की अवधि, आदि	122
243च.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	122
243ন্ত.	पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	123
243ज.	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां	123
243झ.	वितीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन	123
243ञ.	पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा	124
243ਟ.	पंचायतों के लिए निर्वाचन	124
243ਰ.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	125
243ਵ.	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना	125
243ढ.	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना	126
243ण.	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	126
	भाग 9क	
	नगरपालिकाएं	
243त.	परिभाषाएं	127
243थ.	नगरपालिकाओं का गठन	127
243द.	नगरपालिकाओं की संरचना	128
243ध.	वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना	129
243न.	स्थानों का आरक्षण	129
243प.	नगरपालिकाओं की अवधि, आदि	130
243फ.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	131
243ब.	नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	131
243भ.	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां	131
243म.	वित्त आयोग	132

	विषय सूची	(xvi)
अनुच्छेद	•	पृष्ठ
243य.	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा	132
243यक.	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन	133
243यख.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	133
243यग.	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना	133
243यघ.	जिला योजना के लिए समिति	133
243यङ.	महानगर योजना के लिए समिति	134
243यच.	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना	136
243यछ.	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	136
	भाग 9ख	
	सहकारी सोसाइटियां	
243यज.	परिभाषाएं	137
243यझ.	सहकारी सोसाइटियों का निगमन	137
243यञ.	बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि	138
243यट.	बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन	139
243यठ.	बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अन्तरिम प्रबंध	139
243यड.	सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा	140
243यढ.	साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना	140
243यण.	सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार	141
243यत.	विवरणियां	141
243यथ.	अपराध और शास्तियां	141
243यद.	बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना	142
243यध.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	142
243यन.	विद्यमान विधियों का जारी रहना	142
	भाग 10	
	अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र	
244.	अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन	143
244क.	असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी	
	राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का	
	या दोनों का सृजन	143

	विषय सूची	(xvii
अनुच्छेद	~	पृष्ठ
	भाग 11	
	संघ और राज्यों के बीच संबंध	
	अध्याय 1–विधायी संबंध	
	विधायी शक्तियों का वितरण	
245.	संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार	145
246.	संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु	145
246क.	माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध	145
247.	कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद् की शक्ति	146
248.	अवशिष्ट विधायी शक्तियां	146
249.	राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	146
250.	यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति	147
251.	संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति	147
252.	दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमित से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना	147
253.	अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान	148
254.	संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति	148
255.	सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना	148
	अध्याय 2-प्रशासनिक संबंध	140
	साधारण	
256.	राज्यों की और संघ की बाध्यता	149
257.	कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण	149
[257 年 .	संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता – लोप किया गया ।]	150
258.	कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति ।	150

	विषय सूची	(xviii)
अनुच्छेद	"	पृष्ठ
258क.	संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति	150
[259.	पहली अन्सूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल – लोप किया गया।]	150
260.	भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता	150
261.	सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां	151
	जल संबंधी विवाद	
262.	अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन	151
	राज्यों के बीच समन्वय	
263.	अंतर-राज्य परिषद् के संबंध में उपबंध	151
	आग 12	
	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद	
	अध्याय 1–वित	
	साधारण	
264.	निर्वचन	152
265.	विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना	152
266.	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे	152
267.	आकस्मिकता निधि	152
	संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण	
268.	संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क	153
[268क.	संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत	100
[200 11.	और विनियोजित किया जाने वाला सेवा-कर लोप किया गया]	153
269.	संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंत् राज्यों को सौंपे जाने वाले कर	154
269क.	अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर	
	का उद्ग्रहण और संग्रहण	154
270.	उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण	155
271.	कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार	156
[272.	कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ	
	और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे – लोप किया गया ।]	156
273.	जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान	156
274.	ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों	
	के लिए राष्ट्रपति की पर्व सिफारिश की अपेक्षा	157

	विषय सूची	(xix
अनुच्छेद		पृष्ट
275.	कुछ राज्यों को संघ से अनुदान	157
276.	वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर	158
277.	व्यावृत्ति	159
[278.	कुछ वितीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से	
	करार – लोप किया गया ।]	159
279.	"शुद्ध आगम" आदि की गणना	159
279क.	माल और सेवा कर परिषद्	160
280.	वित्त आयोग	162
281.	वित्त आयोग की सिफारिशें	163
	प्रकीर्ण वितीय उपबंध	
282.	संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय	163
283.	संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा	
	धनराशियों की अभिरक्षा आदि	163
284.	लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों	
	और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा	163
285.	संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट	164
286.	माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन	164
287.	विद्युत पर करों से छूट	164
288.	जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट	165
289.	राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट	165
290.	कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन	166
290क.	कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय	166
[291.	शासकों की निजी थैली की राशि – लोप किया गया ।]	167
	अध्याय 2–उधार लेना	
292.	भारत सरकार द्वारा उधार लेना	167
293.	राज्यों द्वारा उधार लेना	167

	विषय सूची	(xx)
अनुच्छेद	·	पृष्ठ
	अध्याय 3–संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद	
294.	कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार	167
295.	अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार	168
296.	राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति	168
297.	राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना	169
298.	व्यापार करने आदि की शक्ति	169
299.	संविदाएं	170
300.	वाद और कार्यवाहियां	170
	अध्याय 4—संपति का अधिकार	
300क.	विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना	170
	भाग 13	
	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	
301.	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता	171
302.	व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वंधन अधिरोपित करने की संसद् की शक्ति	1 71
303.	व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्वधन	171
304.	राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वधन	1 71
305.	विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति	172
[306.	पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की शक्ति – लोप किया गया ।]	172
307.	अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति	172
	भाग 14	
	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	
	अध्याय 1—सेवाएं	
308.	निर्वचन	173

	विषय सूची	(xxi
अनुच्छेद		पृष्ट
309.	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें	173
310.	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि	173
311.	संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का	
	पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना	174
312.	अखिल भारतीय सेवाएं	175
312क.	कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या	
	उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद् की शक्ति	175
313.	संक्रमणकालीन उपबंध	177
[314.	कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध –	
	लोप किया गया ।]	177
	अध्याय 2-लोक सेवा आयोग	
315.	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग	177
316.	सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि	177
317.	लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया	
	जाना	179
318.	आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में	179
	विनियम बनाने की शक्ति	
319.	आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के	180
	संबंध में प्रतिषेध	
320.	लोक सेवा आयोगों के कृत्य	180
321.	लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति	182
322.	लोक सेवा आयोगों के व्यय	182
323.	लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन	182
	भाग 14क	
	अधिकरण	
323क.	प्रशासनिक अधिकरण	183
२२२ाव	भट्टा विषयों के जिए भिश्वकरण	12/

	विषय सूची	(xxii)
अनुच्छेद		पृष्ठ
	भाग 15	
	निर्वाचन	
324.	निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना	186
325.	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक- नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना	187
326.	लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना	187
327.	विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति	187
328.	किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति	188
329.	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	188
[329क.	प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद् के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया ।]	188
	भाग 16	
	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	
330.	लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	189
331.	लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व	190
332.	राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	190
333.	राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व	191
334.	उ स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात न रहना	192
335.	सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों	
	के दावे	192
336.	कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध	192
337.	अंग्ल-भारतीय सम्दाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए	
	विशेष उपबंध	193

	विषय सूची	(xxiii)
अनुच्छेद		पृष्ठ
338.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	193
338क.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	195
338ख.	पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग	197
339.	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण	199
340.	पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की निय्क्ति	199
341.	अनुसूचित जातियां	200
342.	अनुसूचित जनजातियां	200
342क.	- सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग	201
	भाग 17	
	राजभाषा	
	अध्याय 1—संघ की भाषा	
343.	संघ की राजभाषा	203
344.	राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति	203
	अध्याय 2–प्रादेशिक भाषाएं	
345.	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं	204
346.	एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच	
	पत्रादि की राजभाषा	204
347.	किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध	205
	अध्याय 3-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयौ आदि की भाषा	
348.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों	
	आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा	205
349.	भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया	206
	अध्याय 4–विशेष निदेश	
350.	व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा	206
350क.	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं	206

	विषय सूची	(xxiv)
अनुच्छेद	"	पृष्ठ
350ख.	भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकार	207
351.	हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश	207
	भाग 18	
	आपात उपबंध	
352.	आपात की उद्घोषणा	208
353.	आपात की उद्घोषणा का प्रभाव	210
354.	जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना	211
355.	बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य	211
356.	राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध	211
357.	अन्च्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों	
	का प्रयोग	214
358.	आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन	215
359.	आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन	216
[359क.	इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना – लोप किया गया ।]	217
360.	वितीय आपात के बारे में उपबंध	217
	भाग 19	
	प्रकीर्ण	
361.	राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण	219
361क.	संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण	220
361ख.	लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता	220
[362.	देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार – लोप किया गया ।]	221
363.	कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	221
363क.	देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी	
	थैलियों का अंत	221
364.	महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध	222
365.	संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी	
	करने में असफलता का प्रभाव	222

	विषय सूची	(xxv
अनुच्छेद	·	पृष्ठ
366.	परिभाषाएं	222
367.	निर्वचन	227
	भाग 20	
	संविधान का संशोधन	
368.	संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया	228
	भाग 21	
	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	
369.	राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस	
	प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों	230
370.	जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध	230
371.	महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध	232
371क.	नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	232
371ख.	असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	236
371ग.	मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	236
371घ.	आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	237
371ਝ.	आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	240
371च.	सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	241
371छ.	मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	244
371ज.	अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	244
371झ.	गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	245
371ञ.	कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	245
372.	विद्यमान विधियों का प्रवृत बने रहना और उनका अनुकूलन	246
372क.	विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति	247
373.	निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में	
	आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति	248
374.	फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद्	
	हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध	248

	विषय सूची	(xxvi)
अनुच्छेद		पृष्ठ
375.	संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना	
	जावकारिया का कृति करता रहेगा	249
376.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध	249
377.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध	249
378.	लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध	250
378क.	आंध्र प्रदेश विधान सभा की अविध के बारे में विशेष उपबंध	250
[379.	अन्तर्कालीन संसद् तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध - लोप किया गया ।]	250
[380.	राष्ट्रपति के बारे में उपबंध लोप किया गया ।]	250
[381.	राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् लोप किया गया ।]	250
[382.	पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध लोप किया गया ।]	250 250
[383.	प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपबंध लोप किया गया ।]	250
[384.	राज्यपालों की मंत्रि-परिषद् लोप किया गया ।]	251
[385.	पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध लोप किया गया ।]	251
[386.	पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों की मंत्रि-परिषद् लोप किया गया ।]	251
[387.	कुछ निर्वाचनों के परियोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया ।]	251
[388.	अन्तर्कालीन संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के बारे में उपबंध लोप किया गया ।]	251
[389.	डोमीनियन विधान-मंडल तथा प्रान्तों और देशी राज्यों के विधान-मंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध लोप किया गया ।]	251
[390.	इस संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापत या व्यय किया हुआ धन लोप किया गया ।]	251

	विषय सूची	(xxvii)
अनुच्छेद	"	पृष्ठ
[391.	कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने	
	की राष्ट्रपति की शक्ति लोप किया गया ।]	251
392.	कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति	251
	भाग 22	
	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	
393.	संक्षिप्त नाम	252
394.	प्रारंभ	252
394क.	हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ	252
395.	निरसन	252
	अनुस्चियां	
पहली अनु	म्ची	253
1.	राज्य	253
2.	संघ राज्यक्षेत्र	260
दूसरी अनुसूची		263
	भाग क राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध	263
	भाग ख [लोप किया गया ।]	263
	भाग ग लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के	
	सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधान सभा के	
	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् के सभापति और	
	उपसभापति के बारे में उपबंध	264
	भाग घ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के	
	बारे में उपबंध	265
	भाग ङ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध	268
तीसरी अनुसूचीशपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप		269
चौथी अनुसूचीराज्य सभा में स्थानों का आबंटन		273

विषय सूची	(xxviii)
अनुच्छेद	पृष्ठ
पांचवीं अनुसूचीअनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और	
नियंत्रण के बारे में उपबंध	276
भाग क साधारण	276
भाग ख अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन	
और नियंत्रण	276
भाग ग अनुसूचित क्षेत्र	278
भाग घ अनुसूची का संशोधन	279
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के	
प्रशासन के बारे में उपबंध	280
सातर्वी अनुसूची	310
सूची 1 संघ सूची	310
सूची 2 राज्य सूची	317
सूची 3 समवर्ती सूची	321
आठवीं अनुसूची भाषाएं	325
नवीं अनुसूचीकुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण	327
दसवीं अनुसूचीदल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध	345
ग्यारहर्वी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	349
बारहर्वी अनुसूची नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	
परिशिष्ट	
परिशिष्ट 1 – संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015	351
परिशिष्ट 2 – संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 2019	370
परिशिष्ट 3 – संविधान के अनच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा	371

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथिनरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में

> व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई₀ (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भाग 1

संघ और उसका राज्यक्षेत्र

- संघ का नाम और राज्यक्षेत्र—(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा ।
 1[(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अन्सूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- (3) भारत के राज्यक्षेत्र में,-
 - (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
 - ²[(ख) पहली अन्सूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और]
 - (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं,

समाविष्ट होंगे ।

2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना-संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

³[**2क.** [**सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना ।**]—संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 दवारा (26-4-1975 से) लोप किया गया ।]

- 3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन-संसद, विधि द्वारा-
 - (क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
 - (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ;
 - (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ;
 - (घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी ;
 - (ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी :

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (1-11-1956 से) खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (1-11-1956 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{3.} संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा (1-3-1975 से) अंतःस्थापित ।

(भाग 1-संघ और उसका राज्यक्षेत्र)

¹[परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव ²***राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अविध के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अविध के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुजात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुजात अविध समाप्त नहीं हो गई है, संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा ।]

³[स्पष्टीकरण 1-इस अनुच्छेद के खंड (क) से खंड (ङ) में, "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र है, किंतु परंतुक में "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2-खंड (क) द्वारा संसद् को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है ।]

- 4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां—(1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट िकसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधान-मंडल या विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे ।
- (2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।

संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 2 द्वारा (24-12-1955 से) परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{2.} संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

^{3.} संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (27-8-1966 से) अंतःस्थापित ।

भाग 2

नागरिकता

- 5. **संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता**-इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और-
 - (क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
 - (ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
 - (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामुली तौर से निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा।

- 6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार-अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हए भी, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा-
 - (क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था ; और
 - (ख) (i) जबिक वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामुली तौर से निवासी रहा है ; या
 - (ii) जबिक वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है :

परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

7. पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार— अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा :

(भाग 2—नागरिकता)

परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुजा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् प्रव्रजन किया है।

- 8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार-अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में पिरभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनियक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनियक या कौंसलीय प्रतिनिधि दवारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।
- 9. विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना-यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा।
- 10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना-प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा।
- 11. संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना-इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।

भाग 3 मूल अधिकार

साधारण

- 12. परिभाषा-इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।
- 13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां-(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।
- (2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।
 - (3) इस अन्च्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - (क) "विधि" के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है ;
 - (ख) "प्रवृत्त विधि" के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है।
- 1 [(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी $\,$ I]

समता का अधिकार

- 14. विधि के समक्ष समता-राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।
- 15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध-(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- (2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर—

^{1.} संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 द्वारा (5-11-1971 से) अंतःस्थापित ।

(भाग 3-मूल अधिकार)

- (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
- (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सइकों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग,

के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा ।

- (3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।
- ¹[(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नित के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।]
- ²[(5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नित के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं।]
- 3 [(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात, राज्य को--
 - (क) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नित के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी; और
 - (ख) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल िकन्हीं वर्गों की उन्नित के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होंगे।

^{1.} संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 2 दवारा (18-6-1951 से) जोड़ा गया ।

^{2.} संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 दवारा (20-1-2006 से) अन्तःस्थापित ।

^{3.} संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा (14-1-2019 से) अंतःस्थापित ।

(भाग 3-मूल अधिकार)

स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ।]

- 16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता-(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
- (2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा ।
- (3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो ¹[िकसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है] ।
- (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

²[(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में ³[किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में] आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।]

⁴[(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरिक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

मं विधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुस्ची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुस्ची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{2.} संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 द्वारा (17-6-1995 से) अंतःस्थापित ।

संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रवाभ से) (17-6-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{4.} संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (9-6-2000 से) अंतःस्थापित ।

(भाग 3-मूल अधिकार)

- (5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो ।
- [(6) इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी []
- 17. अस्पृश्यता का अंत-"अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।
- **18. उपाधियों का अंत**—(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ।
 - (2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा ।
- (3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
- (4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

स्वातंत्र्य-अधिकार

- 19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण-(1) सभी नागरिकों को-
 - (क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,
 - (ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,
 - (ग) संगम या संघ ²[या सहकारी सोसाइटी] बनाने का,
 - (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

^{1.} संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 3 द्वारा (14-1-2019 से) अंतःस्थापित ।

^{2.} संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2 द्वारा (8-2-2012 से) अंतःस्थापित ।